संख्या ——/18–XIX-2/41 खाद्य/2018

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।

3– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक, मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 26 सितम्बर, 2018

विषयः <u>खरीफ खरीद सत्र 2018–19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद नीति।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–8–3/2018–एस. एण्ड आई. दिनाँक 21.08.2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर खाद्यायुक्त के पत्र सं0 1245/आ0वि0शा0/मॉ0ड्रा0/2018–19 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2018–19 में धान की खरीद नीति का प्रस्तावित ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2018–2019 में प्रदेश के किसानों से जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किसान वार, ग्राम वार सूचियों के आधार पर दिनांक 01.10.2018 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार धान की खरीद की जायेगी। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 544/18–XIX-2/41 खाद्य/2018, दिनाँक 17.07.2018 द्वारा जारी की जा चुकी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 (1) <u>धान का मूल्य एवं गुणनिर्दिष्टियाँ</u> :–

खरीफ–खरीद सत्र 2018–2019 के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) भारत सरकार के पत्र संख्या–3(4)/2018–पी0वाई0–I, दिनाँक 27.07.2018 द्वारा निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कॉमन	1750.00
ग्रेड "ए"	1770.00

(2) उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के **पत्र संख्या–8–3/2018–एस.एण्ड. –आई. दिनाँक 21 अगस्त, 2018 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19** के लिये धान क्रय हेतु गुण–विनिर्दिष्टियाँ निर्धारित की गयी है।

3–धान का क्रय :–

(1)–राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के क्रय की व्यवस्थायें सुनिश्चित करती है। राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार की क्रय संस्थाओं हेतु 1.50 लाख मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

(2)–शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 के अन्तर्गत नामित क्रय संस्थाओं द्वारा स्थापित धान क्रय–केन्द्रों पर उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों से धान का कय कृषक की जोत बही, खाता नम्बरयुक्त कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा। राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के कृषकों की उत्पादित धान की संगणना एवं विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) धान की मात्रा का उल्लेख करने के साथ–साथ किसानवार, ग्रामवार सूची जिसमें किसान द्वारा बोये गये धान का क्षेत्रफल, उत्पादित सम्भावित धान की मात्रा, सम्भावित विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) आदि का अंकन होगा, कय संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इन उपलब्ध करायी गयी सूचियों के आधार पर ही क्रय केन्द्र पर पंजीकृत किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में **शासनादेश संख्या–542/18–XIX–2/41 खाद्य/2018 दिनाँक 17–07–2018** द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश पूर्व में जारी किये गये हैं।

(3)–जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने धान का नमूना लेकर आता है, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित की जायेगी। क्रय केन्द्र प्रभारी के पास राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रामवार सूचियों व पंजीकृत किसानों की सूची में किसान का नाम तथा उसके पास विक्रय हेतु उपलब्ध मात्रा का सत्यापन कर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को क्रय केन्द्र पर धान विक्रय हेतु लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित तिथि को भारत सरकार की गुण–विर्निदिष्टियों के अनुरूप धान होने पर किसान का धान क्रय कर लिया जायेगा। सूची में अंकित किसानों के विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) से यदि वास्तविक मात्रा में कुछ विचलन दृष्टिगोचर होता है तो 10 प्रतिशत तक विचलन (धनात्मक/ऋणात्मक) स्वीकार कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाये कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़े।

(4)–सामान्यतः एक दिन में एक काँटे पर 500 कुन्तल से अधिक धान की तौलाई सम्भव नहीं हो पाती है, इसलिए क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable Surplus) के आधार पर काँटों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा। काँटों की संख्या निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इनके संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात हो।

(5)–खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 मे क्रय एजेन्सियों द्वारा वर्तमान में विकसित किये गये ई–खरीद सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन धान खरीद की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से

अपनाया जायेगा। क्रय संस्थाओ द्वारा अपने संसाधनों से कम्प्यूटर/लैपटॉप/आईपैड, इन्टरनेट कनैक्शन व अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें स्वयं सम्पन्न की जायेंगी।

यदि अपरिहार्य कारणों से किसी केन्द्र पर ऑनलाईन धान की खरीद सम्भव नहीं हो पाती है तो क्रय केन्द्रों पर धान क्रय का कार्य नहीं रोका जायेगा एवं ऑफलाईन खरीद करते हुए अगले कार्यदिवस से पूर्व कार्यालयों में जाकर ऑनलाईन फीडिंग अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(6)–राज्य के प्रत्येक कृषक का कय एजेन्सी में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। जिन कृषकों का पंजीकरण न हो पाया हो, ऐसे कृषकों का पंजीकरण उनके द्वारा क्रय केन्द्र पर अपने उत्पाद को विक्रय हेतु लाये जाने पर सर्वप्रथम क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उनके पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी, ताकि प्रत्येक कृषक का पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में बिना पंजीकरण कृषक का उत्पाद क्रय नहीं किया जायेगा अपितु कृषक को मौके पर राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्राम वार किसानवार सूची के आधार पर ही पंजीकरण कर लिया जायेगा तथा किसान से उसके बैंक सम्बन्धी जानकारी भी मौके पर ही प्राप्त की जायेगी।

4– <u>धान क्रय एजेंसियों एवं क्रय–केन्द्रों का निर्धारण</u> :–

(1)– खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में क्रय–केन्द्रों पर कृषकों का धान क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित क्रय संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है तथा इन संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय–केन्द्रों की संख्या तथा धान क्रय का लक्ष्य निम्नवत होगा :–

क्र0 सं0	क्रय संस्था	केन्द्रो की संख्या		योग	क्रय की जाने वाली धान की मात्रा (मी0टन)		योग
		गढवाल	कुमायूँ		गढवाल	कुमायूँ	
1–	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	11	12	23	5,000	20,000	**25,000**
2–	सहकारिता विभाग (यू0 सी0 एफ0)	16	139	155	10,000	65,000	**75,000**
3–	अन्य नामित संस्थाएं				15,000	35,000	**50,000**
कुल योग		**27**	**151**	**178**	**30,000**	**1,20,000**	**1,50,000**

सम्बन्धित क्रय संस्थाएं क्रय केन्द्रों की संख्या को मण्डियों में धान की आवक के आधार पर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के आदेशानुसार बढ़ा/घटा सकते हैं।

(2)–कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड, जिसका दायित्व कृषकों को उनकी उपज का उचित एवम् लाभकारी मूल्य दिलाना है, द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में क्रय संस्थाओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। मण्डी परिषद द्वारा सरकारी क्रय–केन्द्रों पर धान विक्रय के निमित्त व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जायेगा। विगत वर्षो की धान खरीद को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष धान क्रय केन्द्रों की संख्या उपरोक्तानुसार **178** रहेगी, तथा मण्डी समितियों द्वारा क्रय–केन्द्रों की संख्या के आधार पर आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी।

यदि भविष्य में अन्य क्रय एजेन्सियां नामित की जाती है तो उनसे भी धान क्रय का कार्य सम्पादित कराया जायेगा एवं इनके लिए भी पृथक से क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

(3)–**माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्रय–केन्द्रों की स्थापना यथासम्भव तीन किमी0 से अधिक दूरी पर नहीं की जायेगी**, ताकि उससे सम्बद्ध गाँव के किसान कम से कम दूरी तय करके सुगमता से अपना धान विक्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर ला सकें। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि क्रय–केन्द्रों तक वाहनों के आने–जाने का सम्पर्क मार्ग भी ठीक हो।

(4)–क्रय–केन्द्रों के चयन में सार्वजनिक स्थानों, जैसे सामुदायिक विकास केन्द्र, मण्डी स्थल, पंचायत घर, सहकारी समितियों के कार्यालय/गोदाम एवं सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे स्थानों की अनुपलब्धता अथवा उचित स्थान न मिलने पर ही प्राइवेट स्थानों का चयन किया जायेगा। विगत वर्ष खोले गये क्रय–केन्द्रों पर यदि धान क्रय का कार्य निर्विवाद एवं सफलतापूर्वक संचालित हुआ है तो बिना किसी ठोस आधार के क्रय–केन्द्रों का स्थान परिवर्तन न किया जाय तथा किसी भी दशा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में क्रय केन्द्र नहीं खोले जायेगें।

(5)–नामित क्रय संस्थाओं द्वारा धान क्रय केन्द्रों का संचालन दिनाँक **01–10–2018** से दिनाँक **28–02–2019** तक किया जायेगा। रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी रविवार को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी धान क्रय के लक्ष्य की पूर्ति हेतु धान क्रय केन्द्र खुलवाने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

(6)–**धान के मूल्य का भुगतान तत्काल या 24 घण्टे के अन्दर उस किसान के नाम आर0टी0जी0एस0/एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।**

(7)–क्रय–केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का धान ही क्रय किया जायेगा। निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न होने वाले धान का क्रय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। क्रय–केन्द्र पर कृषकों के वाहन से धान की उतराई तथा छनाई/सफाई का व्यय भार सम्बन्धित किसान द्वारा वहन किया जायेगा। इस कार्य में व्यय होने वाली प्रति कुन्तल दरें मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर बोर्ड/नोटिस लगाकर प्रदर्शित की जायेगी ।

(8)–मण्डी समिति कृषकों द्वारा मण्डी परिसर में विक्रय हेतु लाये गये धान को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों की जाँच सुनिश्चित करने उपरान्त धान की ग्रेडिंग और सार्टिंग करायेगी। निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर धान की लाट पर F.A.Q. की तख्ती प्रदर्शित की जायेगी। तदोपरान्त आढ़तियों, कृषकों एवं क्रय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समक्ष उक्त लाट की नीलामी की जायेगी। यदि नीलामी में समर्थन मूल्य से कम मूल्य आता है तो सम्बधित सरकारी क्रय एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर धान क्रय की कार्यवाही की जायेगी ।

(9)–सर्वप्रथम किसानों द्वारा विक्रय हेतु क्रय–केन्द्र पर लाये गये धान की नमी की जाँच सम्बन्धित क्रय संस्था के केन्द्र प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यदि **लाये गये धान में** नमी का प्रतिशत एवं विजातीय तत्व अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाते हैं तो केन्द्र पर ही उसे सुखाने तथा पंखा एवं छन्ने से उसकी सफाई कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद/मण्डी समिति द्वारा की जायेगी। यदि सुखाने एवं सफाई कराने उपरान्त धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया जाता है तो उसकी तौल कराकर कृषक

को धान के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0/एकांउण्ट पेई चैक के माध्यम से कर दिया जायेगा ।

(10)–बिचौलियों के शोषण से कृषकों को बचाने के लिए **उत्तराखण्ड के पंजीकृत कृषक जिनकी ग्रामवार सूची जिला प्रशासन द्वारा क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध करायी गयी है**, के आधार पर धान की खरीद की जायेगी। धान खरीद हेतु प्रथम आवक प्रथम खरीद के सिद्वान्त को लागू रखने के लिए टोकन पद्वति अपनायी जायेगी। इस निमित्त क्रय केन्द्र पर एक पंजिका भी अनुरक्षित की जायेगी, जिसमें केन्द्र पर धान लाने वाले कृषक का क्रमांक उसका नाम तथा तिथि अंकित की जायेगी। पंजिका में अंकित क्रमांक के अनुसार ही कृषक को टोकन निर्गत किया जायेगा एवं इसी क्रम में धान की तौलाई सुनिश्चित की जायेगी।

(11)–कृषकों को अपनी उपज का धान सरकारी क्रय–केन्द्रो पर विक्रय हेतु लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा तथा अन्यत्र विक्रय को हतोत्साहित किया जायेगा, ताकि कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अनुमन्य हो सके। मण्डी परिषद् द्वारा नोडल संस्था के रूप में कार्य करते हुए मण्डियों में प्रतिस्पर्धापूर्ण ढंग से धान की नीलामी की व्यवस्था की जायेगी।

(12)–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा प्रस्तर–4(1) में अंकित लक्ष्य के अनुसार अपने सम्भाग में संस्थावार/केन्द्रवार धान क्रय किया जायेगा तथा क्रय धान की कुटाई पंजीकृत मिलों से उनकी कुटाई क्षमता एवम् साख के आधार पर सुनिश्चित करायी जायेगी ।

5– <u>जिला खरीद अधिकारी का नामांकन</u> :–

जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान के आवक की स्थिति का आंकलन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार जिलाधिकारी राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय–केन्द्रों का अनुमोदन करेंगे। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि क्रय–केन्द्र प्रातः 9.00 बजे से सांयकाल 5.30 तक खुले रहें। आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय के बाद भी क्रय–केन्द्र खोलने हेतु जिलाधिकारी निर्णय ले सकते हैं। जनपद में धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में एक जिला खरीद अधिकारी भी नामित किया जायेगा जो कि अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा तथा जो क्रय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने तथा धान क्रय के कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

उपसम्भागीय विपणन अधिकारी अपने जनपद में खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में क्रय–केन्द्रों की स्थापना हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला खरीद अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक कराकर क्रय–केन्द्रों की सूची प्राप्त कर जिलाधिकारी से अनुमोदन लेगें तथा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु वास्तविक रूप से प्रचलित स्थानीय परिवहन दरों के निर्धारण की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायेगें ।

6– <u>मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें</u> :–

प्रदेश में खोले जाने वाले प्रत्येक धान क्रय–केन्द्र पर मण्डी समितियों द्वारा किसानों की सुख सुविधा के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की जायेगी :–

1 कृषकों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था।
2 पशुओं के लिये पानी, नाद, बैलगाडी, ट्रैक्टर ट्राली हेतु पार्किंग स्थल आदि।
3 कृषकों के बैठने के लिये शामियाना, तख्त, दरी, कुर्सी आदि।
4 पर्याप्त मात्रा में पंखों/छन्नों आदि की व्यवस्था।
5 धान की नमी की जॉच हेतु इलेक्ट्रानिक नमी मापक यंत्र।

6 वाटर मैन की व्यवस्था ।
7 विनोईंग फैन।
8 ड्रायर।
9 इलैक्ट्रॉनिक कांटा।
10 रोशनी की उचित व्यवस्था।

यदि किसी क्रय–केन्द्र पर मण्डी समिति द्वारा उक्त सुख–सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो क्रय संस्था की ओर से यह व्यवस्था स्वयं ही सुनिश्चित की जायेगी तथा इस पर होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क से सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यंत्र मण्डी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

7–<u>क्रय–केन्द्रों के लिये भूमि का किराया</u> :–

क्रय केन्द्र के लिये भूमि का किराया क्रय संस्था को अनुमन्य प्रासंगिक व्ययों से ही वहन करना होगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से नही की जायेगी। एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से जिलाधिकारी भूमि के किराये की अधिकतम दर प्रति वर्ग फिट के आधार पर निर्धारित करेगें, जो समस्त क्रय संस्थाओं के लिए अनुमन्य होंगी।

8–<u>क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन</u> :–

समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर प्रयोग किये जाने वाले काँटे–बाट का सत्यापन तथा समय–समय पर नियमानुसार उनका निरीक्षण विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सुनिश्चत किया जायेगा। समस्त क्रय संस्थायें इस बात का विशेष ध्यान रखेगीं कि धान क्रय में सत्यापित एवम् मुद्राकिंत काँटे–बाट का ही प्रयोग हो।

9–<u>धान के संग्रह हेतु क्रय–केन्द्र पर क्रेट्स एवं त्रिपाल की व्यवस्था</u> :–

क्रय किये गये तथा विक्रय के लिये लाये गये धान को असामयिक वर्षा से बचाने के लिये प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम 20 क्रेटस तथा 02 त्रिपाल की व्यवस्था समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा स्वयं की जायेगी। यदि केन्द्र पर क्रेटस उपलब्ध न हो तो नीचे पुवाल डालकर उसके ऊपर लकडी की बल्लियाँ बिछाकर धान के बोरे संग्रहीत किये जायें, ताकि धान को जमीन की सीलन आदि से कोई क्षति न हो। क्रय–केन्द्र पर धान को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने हेतु क्रय संस्थायें स्वयं जिम्मेदार होंगी ।

10–<u>क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था</u> :–

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग/सहकारिता विभाग एवं नामित क्रय एजेन्सियों के लिये नये बोरों की व्यवस्था खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान क्रय के लिये सहकारिता विभाग द्वारा बोरों की अपनी तात्कालिक आवश्यकता सम्बन्धित उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर संभागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं को बोरों की पूर्ति के लिये संभागीय खाद्य नियंत्रक उत्तरदायी होंगे। धान क्रय के लिये सहकारिता विभाग को प्रथम बार बोरे उधार के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आगामी माहों में बोरों की व्यवस्था पूर्व में उपलब्ध कराए गये बोरों का भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त सुनिश्चित की जायेगी। क्रय एजेन्सियों द्वारा

A

संचालित धान क्रय केन्द्रों पर सर्वप्रथम विभाग के पास एक बार प्रयोग में लाये गये बोरे धान क्रय हेतु प्रयोग में लाये जायेगें, परन्तु इससे उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल (Custom Milled Rice) अनिवार्यतः नये बोरों में ही प्राप्त किया जायेगा। **यदि क्रय एजेन्सियों द्वारा एक बार प्रयुक्त बोरों में धान का क्रय किया जाता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को अनिवार्य रूप से दी जायेगी एवं इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा कॉस्टशीट में अनुमन्य यूजेज चार्जेज का भुगतान किया जायेगा। धान क्रय हेतु एक बार प्रयुक्त बोरे उपयोग में लाये जाने की स्थिति में इनका लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा ताकि खरीफ–खरीद सत्र की समाप्ति उपरान्त बोरों की वास्तविक स्थिति की जानकारी रहे तथा भारत सरकार से सब्सिडी क्लेम करने में कोई कठिनाई न होने पावें।**

सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग, विभाग के पास संग्रहित नये बोरे धान खरीद हेतु धान क्रय केन्द्रों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु नये बोरों का क्रय पटसन आयुक्त, कोलकत्ता के माध्यम से किया जाना है जिस हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। धान क्रय हेतु बोरों की कमी होने पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा अपने–अपने सम्भागों में चावल मिलर्स से उधार के आधार पर बोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी जो कि कोलकत्ता से बोरे प्राप्त होने पर चावल मिलर्स को वापस कर दिये जायेंगे।

यदि कस्टम मिल्ड चावल स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान के समय अधोमानक बोरे पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारी किसी भी दशा में अधोमानक बोरों में कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त नहीं करेंगे।

11–<u>मानक नमूने का प्रदर्शन</u> :–

धान का किस्मवार नमूना सील करके क्रय–केन्द्र पर सुरक्षित रखा जायेगा जिसको निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के आधार पर तैयार किया जायेगा और उसे कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण हेतु अवश्य प्रदर्शित कराया जायेगा।

12–<u>धान के मूल्य का भुगतानः–</u>

(1)– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो के संचालन एवं कृषकों को धान के मूल्य का भुगतान करने हेतु वित्त नियंत्रक, खाद्य द्वारा आवश्यकतानुसार भारतीय रिजर्व बैक से कैश क्रेडिट लिमिट आवश्यकता अनुरूप प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सी0सी0एल0 की स्वीकृति में विलम्ब होने अथवा न लिये जाने की दशा में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति से अग्रिम धनराशि खाद्य विभाग के लेखाशीर्षक "4408" से आहरित कर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों की मॉग पर उन्हे आवटिंत की जायेगी। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों को उनकी मॉग के अनुरूप धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(2)–कृषकों को मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान अधिकतम 02 दिन के अन्दर तत्परता से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा किन्तु जिन क्रय केन्द्रों पर आर0टी0जी0एस0 की सुविधा नहीं होगी वहां

A

पर एकाउंट पेई चैक के माध्यम से कृषकों को कय धान का भुगतान किया जा सकेगा।

क्रय–केन्द्रों को किसी एक शैडयूल्ड/राष्ट्रीयकृत बैक से संबद्ध करके क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा "राज्य पैडी परचेज एकांउट– 2018–19" के नाम से चालू खाता खोला जायेगा। खाद्य विभाग के क्रय–केन्द्र प्रभारियों द्वारा एक समय में किसी एक कृषक को अधिकतम अंकन ₹3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक धान के मूल्य का भुगतान तथा ₹3,00,000 से अधिक धान के मूल्य का भुगतान वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी/सहायक संभागीय वित्त अधिकारी द्वारा आर0टी0जी0एस0/एकांउट पेई चैक के माध्यम से प्रचलित प्रणाली के अन्तर्गत विलम्बतम् तीन दिन के अन्दर किया जायेगा।

13–<u>धान खरीद केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–

धान क्रय केन्द्र पर क्रय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से संरक्षित रखे जायेंगे :–

(01) किसान पंजीकरण पंजिका।
(02) किसान परिचय पर्ची/टोकन।
(03) धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(04) क्रय तक–पट्टी ।
(05) क्रय पंजिका ।
(06) बोरा रजिस्टर ।
(07) स्टाक रजिस्टर ।
(08) बिल बुक ।
(09) निर्गत चेकों का विवरण पत्र ।
(10) टी0डी0स्लिप ।
(11) बैंक लेखा पंजी ।
(12) निरीक्षण पंजिका ।
(13) शिकायत पंजिका ।
(14) क्रय किये धान का निस्तारण
(15) हैण्डलिगं ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण
(16) परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति का विवरण
(17) रिजैक्सन पंजिका ।
(18) मिलवार धान प्रेषण एवम् चावल प्राप्तिपंजिका

14–<u>धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिगं</u> :–

(1) क्रय केन्द्रो पर क्रय किये गये धान को प्रति बोरा 40 कि0ग्रा0 की दर से उल्टे बोरों में भरकर 12 टाँको से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, क्रय संस्था का नाम, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय का वजन, हैण्डलिगं ठेकेदारों द्वारा चटक रंग से स्टेसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो।

(2) उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिंलिगं न करने पर क्रय संस्था द्वारा विभागीय हैण्डलिगं ठेकेदार के बिलों से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ सुनिश्चित की जायेगी:–

(अ)–खराब सिलाई 12 टाँको से कम तथा खराब सुतली लगने पर **75 पैसे** प्रति एस0बी0टी0।

(ब)– स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर रू0 **1.00 प्रति** एस0बी0टी0।

15–<u>स्टेंसिलिंग/ब्रान्डिंग एवं कलर कोडिंग हेतु रंगों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा</u> :–

भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–पी0वाई0.III (ई फाईल–318639) दिनाँक 12.04.2018 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में चावल क्रय में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) बोरों पर निम्नानुसार कलर कोडिंग/स्टैन्सलिंग की जायेगी :–

1- On every bag, there will be Colour coded strips for identification marking at distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge. Each strip will be width of " 04 threads running along the length of the bag" and shall be in " RED " colour. Single strip is to be printed for bags to be supplied through

DGS&D . For open market supply to millers etc. two strip should be printed on both side of center strip as mentioned in para below.

2- Stencil as per requirments shall be in " BLUE" colour.
3- Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain is done by the FCI/State Agencies in "RED" colour.
4- For indentification marketing or marketing season, the jute bag carries color coded strip/s.Width of the each strip is of 4 threads. Each strip runs along the length of the Bag and is in "RED" color.

16–<u>प्रचार प्रसार</u> :–

मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान क्रय की व्यवस्था तथा क्रय–केन्द्रों की स्थापना के सबंध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मण्डी समिति, क्रय संस्थाओं द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा प्रचार–प्रसार माध्यमों से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, ताकि कृषकों को सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था की सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनका कोई उत्पीड़न न कर सके।

17–<u>धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा</u> :–

जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मण्डियों एवं क्रय–केन्द्रो पर धान के बाजार भाव एवम् धान के आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये धान की स्थिति की समीक्षा की जायगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में की गई शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकोष्ठ कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक क्रियाशील रखे जायेगें।

मण्डी निदेशक प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।

(1)– सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जनपद स्तर पर उप सम्भागीय विपणन अधिकारी क्रय संस्थाओं द्वारा धान क्रय की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो, वहाँ तत्परतापूर्वक सरकारी क्रय संस्थाओं द्वारा धान का क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार क्रय–केन्द्र तत्काल खुलवाकर खरीद की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(2)– खाद्यायुक्त कार्यालय में धान खरीद एवं उद्ग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित अनुश्रवण विभागीय मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन क्रीत धान खरीद/कस्टम मिल्ड चावल की संकलित सूचना खाद्यायुक्त को ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर तथा खाद्यायुक्त द्वारा साप्ताहिक आख्या प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

18–<u>खरीदे गये धान का निस्तारण</u> :–

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान का निस्तारण विगत वर्षो की भाँति दो विकल्पों के आधार पर किया जा सकेगाः–

(1)– क्रय किये गये धान को धान के रूप में ही राज्य की किसी चावल मिल को विक्रय किया जा सकता है।

अथवा

(2)– क्रय संस्थायें क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर चावल तैयार करायेगें। धान से निर्मित चावल का सम्प्रदान स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल योजना में विभाग व भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा, किन्तु स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में यदि प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी/भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा चावल को अस्वीकार कर दिया जाता है तो सम्बन्धित क्रय संस्था निर्मित चावल का वाणिज्यक विक्रय कर निस्तारित करेगी।

(3)– क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत दिनॉक 01–10–2018 से क्रय–केन्द्रों पर क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान दिनाँक 30–06–2019 तक विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्टेट पूल डिपो में किया जायेगा। स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

(4)– खरीफ खरीद सत्र 2018–19 में क्रय संस्थाओं द्वारा ही अपने क्रय केन्द्रों पर क्रीत धान की कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कराई जायेगी। जिस क्रय एजेन्सी द्वारा धान का क्रय किया जायेगा उसी एजेन्सी द्वारा अपने स्तर से चयनित मिलों से इसकी कुटाई कराकर निर्मित सी0एम0आर0 का उदग्रहण भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

19–<u>धान की कस्टम मिलिंग हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दायित्व</u> :–

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सहकारिता विभाग तथा अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान की नियमित जाँच तथा चावल मिलों को कुटाई हेतु दिये गये राजकीय धान की मात्रा का सत्यापन एवम् इससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण का दायित्व सम्बन्धित क्रय संस्था के क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा। सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन चावल मिलों को संस्थाओं द्वारा धान कुटाई हेतु दिया गया है वह धान चोरी अथवा खुर्द–बुर्द न होने पावे। इसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित क्रय एजेन्सी का होगा।

20–<u>क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई (कस्टम हलिंग)</u> :–

क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत विभिन्न केन्द्रों पर क्रय धान की कुटाई क्रय केन्द्र के निकटतम स्थापित ऐसी चावल मिलों, जो कि सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में पजीकृत होगीं, से करायी जायेगी ।

(1)– क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई कराने हेतु सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/सहकारिता विभाग क्रय केन्द्रों अथवा निमित्त केन्द्रों पर स्थापित चावल मिलों की कुटाई क्षमता एवं उनकी साख के आधार पर क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

(2)– धान की कुटाई के लिए संबधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सहकारिता विभाग द्वारा धान क्रय–केन्द्रो को चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि परिवहन मद में कम से कम व्यय वहन करना पडे। चावल मिलों से धान की कुटाई कराने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक चावल मिल मालिकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कुटाई क्षमता के अनुसार ऑफर प्राप्त किये जायेंगे ।

(3)– धान की कुटाई का कार्य चयनित चावल मिल की कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर कराया जायेगा। जिस चयनित चावल मिल से राजकीय धान की कुटाई कराई जायेगी, उस चावल मिल द्वारा राजकीय धान प्राप्ति के अधिकतम् 15 दिन के भीतर उस धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल राज्य सरकार को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान किया जायेगा।

जिन क्रय केन्द्रों पर धान का क्रय उस केन्द्र हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य से अधिक क्रय किये धान को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा उस केन्द्र से निकटतम केन्द्र पर स्थापित चावल मिलों को कुटाई हेतु दूरी के आधार पर आवटिंत कर दिया जायेगा।

(4)– जिन चावल मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व सरकारी/अर्द्व सरकारी विभागों/संस्थाओं/परिषदों/समितियों/राष्टीकृत बैंको की बकाया धनराशि है अथवा जिन मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व आपराधिक/विभागीय मामले चल रहे है अथवा सरकारी नजूल भूमि पर अवैध धान मिल संचालित की जा रही है अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया गया है तथा जिन चावल मिलों में पर्याप्त क्षमता का विद्युत संयोजन नहीं है ऐसी मिल/मालिकों/भागीदारों/निदेशकों को कस्टम हलिंग हेतु कदापि चयनित नही किया जायेगा।

(5)–किराये पर चलाई जा रही चावल मिलों को चावल मिल के मूल मालिक एवम् दो अन्य प्रतिष्ठित चावल मिलों की गारन्टी उपलब्ध कराने पर ही धान कुटाई हेतु दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति भी प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(6)– सम्बन्धित क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु नियुक्त चावल मिलर्स से निर्धारित प्रारूप पर एक अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह क्रय संस्था को अपनी चावल मिल की कुटाई क्षमता के अनुसार सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता के आधार पर प्रति टन 3.00 लाख रूपये तथा पट्टे/किराये पर संचालित की जा रही चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता प्रति टन 4.00 लाख रूपये अथवा **अधिकतम** ₹20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्बन्धित विभाग के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी ।

(7)– धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन क्रय केन्दों से स्टेट पूल के अन्तर्गत डिलीवरी डिपो से मिल की दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सामान्यतः किसी चावल मिल को उसकी जमा प्रतिपूर्ति के बराबर अथवा उसके द्वारा कुटाई हेतु दिये गये धान से निर्मित सी0एम0आर0 का सम्प्रदान करने उपरान्त ही पुनः धान ही कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)– कुटाई के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिए 67 प्रतिशत तथा सेला के 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(9)– राजकीय धान की कुटाई के लिए चयनित चावल मिल द्वारा राज्य सरकार के धान की कुटाई तथा अपने मिल एकाउन्ट के धान की कुटाई से सबंधित अभिलेख अलग–अलग रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार क्रय–केन्द्रो पर खरीदे गये धान और उससे बनाये गये चावल से संबंधित अभिलेख भी अलग–अलग रखे जायेंगे ।

(10)– क्रय एजेन्सियों द्वारा दैनिक धान खरीद के ऑकडों का प्रेषण करने हेतु अनिवार्य रूप से एक नोडल आफिसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल आफिसर द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Procurement Monitoring System) **के अर्न्तगत क्रय संस्थाओं द्वारा केन्द्रवार/जनपदवार दैनिक धान खरीद के ऑकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियन्त्रण कक्ष, खाद्य आयुक्त कार्यालय एवम् भारतीय खाद्य निगम को** OPMS **में प्रविष्टि हेतु नियमित दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जायेगें ।**

इसके अतिरिक्त क्रय धान की कुटाई से सबंधित सूचना भी निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। सहकारिता विभाग एवं अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा भी प्रतिदिन दोनों सम्भागों की जनपदवार धान क्रय की सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11)– यदि किसी केन्द्र पर क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों से क्रय किये गये धान को गुणवत्ता के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणो से चयनित चावल मिलर द्वारा कुटाई हेतु अस्वीकार किया जाता है तो क्रय केन्द्र प्रभारी की रिपोर्ट पर सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सहायक निबन्धक, सहकारिता द्वारा मौके पर जाकर क्रय धान की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जायेगा। यदि संयुक्त विश्लेषण उपरान्त क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो प्रस्तर–18 के अनुसार क्रय धान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और दोषी कार्मिकों के विरूद्व भी अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, किन्तु संयुक्त विश्लेषण में यदि क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी जाती है तो सम्बन्धित मिलर कय धान की कुटाई करने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित मिलर के विरूद्व नियमसंगत कार्यवाही की जायेगी।

(12)– भारत सरकार के आदेशानुसार चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 सेमी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप, जिसमें चावल मिल का नाम, फसलवर्ष, कोड नम्बर, लाट संख्या, चावल की किस्म एवं चावल मिलर का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

21–<u>धान की कुटाई (कस्टम हलिंग) से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण</u> :–

विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में सी0एम0आर0 चावल की मात्रा विभागीय गोदामों, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहीत की जायेगी। स्टेटपूल गोदामों में प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल का संग्रहण करने से पूर्व इसका संयुक्त विश्लेषण सम्बन्धित भण्डारण एजेन्सी व वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्टेटपूल गोदाम में कस्टम मिल्ड चावल संग्रहित होने उपरान्त इसकी गुणवत्ता एवं संग्रहित स्टॉक की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संग्रह एजेन्सियों का होगा। संग्रहण एजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल कॉमन एवं ग्रेड–ए का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा।

राज्य में स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का चावल संग्रहीत किया जायेगा, वहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की विपणन शाखा का स्टॉफ तैनात किया जायेगा, जो चावल की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त भण्डारण एजेन्सी से चावल का स्टाक प्राप्त कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना/अन्त्योदय अन्न योजना/Tide Over Allocation के आवंटन के अनुरूप प्रेषण करेगा। इस निमित्त किसी अतिरिक्त स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा वर्तमान में कार्यरत स्टॉफ से ही कार्य लिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक की तैनाती क्रय–केन्द्र पर प्रभारी के रूप में होगी उसे स्टेटपूल डिपो पर कदापि तैनात नहीं किया जायेगा।

(1)– <u>खरीफ–खरीद वर्ष 2018–19 हेतु चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ :–</u>

खरीफ–खरीद वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार के **पत्र संख्या–8–3/2018–एस. एण्ड.–आई. दिनाँक 21 अगस्त, 2018 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–2019** हेतु चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ जारी की गयी हैं, जिसकी प्रति संलग्न है।

22–<u>कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन :–</u>

(1)–धान क्रय केन्द्रों से चावल मिल परिसर तक धान के परिवहन तथा उद्ग्रहण उपरान्त चावल मिलों से स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का 08 किमी0 तक सम्प्रदान सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु चावल मिलर को परिवहन दरों का भुगतान भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद 2018–2019 हेतु निर्धारित कुटाई/परिवहन दरों के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा तथा 08 किमी0 से अधिक दूरी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु निर्धारित स्थानीय परिवहन दरें तथा भारतीय खाद्य निगम की दरें, जो भी कम हों, अनुमन्य होगी।

चावल मिल से स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक सी0एम0आर0 का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्रोग्राम के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा। परिवहन व्यय के आकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित की गयी दूरी अनुमन्य होगी। क्रय धान से निर्मित सी0एम0आर0 के सम्प्रदान हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा डिपोवार मूवमेन्ट प्लान जारी किया जायेगा।

23– <u>हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवम् उनके पारिश्रमिक का भुगतानः–</u>

धान क्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा ई–टेण्डर के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी तथा हैण्डलिंग ठेकेदारों को हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा खरीफ–विपणन सत्र 2018–19 हेतु जारी कॉस्टशीट के अनुसार भुगतान किया जायेगा। इस निमित्त भारत सरकार की कॉस्टशीट की दरें अधिकतम होंगी।

24– <u>धान के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था :–</u>

खरीफ–खरीद सत्र 2018–2019 में धान क्रय–केन्द्र से चयनित चावल मिल तक धान का परिवहन सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों द्वारा तथा धान की कुटाई उपरान्त निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक परिवहन कराने हेतु जिस

चावल मिल को धान कुटाई हेतु दिया जायेगा उसी मिल द्वारा/कस्टम मिल्ड चावल का संचरण भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

25— <u>क्रय केन्द्रो के संचालन एवम् अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवम् अन्य मदों हेतु व्यवस्था</u> :—

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय—केन्द्रो पर खरीफ—खरीद सत्र 2018—19 में धान क्रय की व्यवस्था हेतु योजना का प्रचार प्रसार, ऑनलाईन धान क्रय कार्य हेतु सामग्री, निरीक्षण हेतु किराये पर वाहन, पी0ओ0एल0, हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यय, बोरा क्रय, वर्षा से बचाव हेतु तिरपाल एवं क्रेटस आदि की व्यवस्था, बोरों की सिलाई हेतु मशीन तथा क्रय खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि व्यय अनुमन्य होगा।

धान का क्रय मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ई—खरीद करने हेतु कृषकों का पंजीकरण, मिलो का पंजीकरण का कार्य चूंकि वर्ष पर्यन्त किया जाना है तथा स्टेटपूल, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का उठान व सम्प्रदान एवं इसकी बिलिंग/भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष में होता रहेगा अतएव उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष हेतु अनुमन्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त सरकारी गोदाम उपलब्ध न होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, व धान के मूल्य भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। स्टेशनरी, पी0ओ0एल0, टेलीफोन, विज्ञापन एवं प्रचार—प्रसार आदि के खर्च भी लेखाशीर्षक "4408—खाद्य—101—खरीद और पूर्ति—03—अन्नपूर्ति योजना—31—सामग्री तथा सम्पूर्ति" से नियमानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के तहत वहन किया जायेगा।

26— <u>धान क्रय—केन्द्रो का निरीक्षण</u> :—

(1) खाद्य विभाग तथा क्रय संस्थाओं द्वारा के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक धान खरीद केन्द्रों का सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं एवं वहाँ अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध है तथा किसानों का धान नियमानुसार खरीदा जा रहा है अथवा नहीं।

(2) सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी 15 दिन में सभी केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी अपने जनपदों/क्षेत्रो में क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर यह देखेंगे कि धान खरीद का कार्य समुचित ढंग से हो रहा है अथवा नहीं।

खाद्यायुक्त स्तर पर एक सचल दस्ता गठित किया जायेगा जिसमें मुख्य विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक सम्मिलित होंगे। सचल दस्ता द्वारा धान क्रय केन्द्रों, चावल मिलों में संग्रहित धान,निर्मित कस्टम मिल्ड चावल तथा स्टेटपूल डिपो पर चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा उसकी सूचना खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

27— <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष एवम् खरीद के आँकडों का प्रेषण</u> :—

(1) जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें धान कय कार्य की नियमित समीक्षा की जायेगी साथ ही साथ धान कय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

(2) राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड के कार्यालय में खोला जायेगा, जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2018 से कार्यशील होगा। नियमित धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन ई–मेल– foodcommfcs@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

28 – क्रय एजेंसियाँ धान खरीद हेतु जारी समय सारणी के अनुसार धान क्रय–केन्द्रों की स्थापना, कार्मिकों की तैनाती, बोरों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगी, ताकि धान का क्रय सुचारू रूप से आरम्भ हो जाये।

29– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 160 मतदेय/XXVII(5)18-19 दिनांक 25.09.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव

संख्या 668(i)/18–XIX-2/41 खाद्य/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
7– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
8– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
9– क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
10– निजी सचिव, मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12– वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,, उत्तराखण्ड ।
13– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड ।
14– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
15– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16– एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे),
अनु सचिव।